

राजस्थान सरकार  
चिकित्सा शिक्षा (गुप-1) विभाग

क्रमांक 5(8)एमई/गुप-1/2000 पाठ

जयपुर, दिनांक

प्रमाण पत्र

19 JUN 2007

यह प्रमाणित किया जाता है कि राज्य में राजकीय दन्त कॉलेज, जयपुर एवं निजी क्षेत्र में संचालित तीन डेन्टल कॉलेजों में स्नातकोत्तर (एमडीएस) पाठयक्रम प्रारम्भ किया जा चुका है परन्तु अभी भी दन्त विषय विशेषज्ञों की काफी कमी है। अतः राज्य की जनता को दन्त विषय विशेषज्ञों की विशिष्ट सेवाएँ उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं तथा विशेषज्ञों की कमी के कारण राज्य के रोगियों को अन्य राज्यों में जाना पड़ता है। साथ ही राज्य के डेन्टल कॉलेजों से बी. डी. एस. का पाठयक्रम पूर्ण कर विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर पाठयक्रम (एमडीएस) के अध्यापन हेतु अन्य राज्यों में जाना पड़ रहा है। राजस्थान राज्य की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए तथा जनता की आशाओं/अपेक्षाओं के अनुरूप विषय विशेषज्ञों की सेवाएँ उपलब्ध करवाया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः विषय विशेषज्ञों की कमी तथा स्नातकोत्तर पाठयक्रम में अनुसंधान एवं उपचार की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यह प्रमाणित किया जाता है कि सुरेन्द्र डेन्टल कॉलेज एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट, श्रीगंगानगर में निम्नांकित 9 विषयों में स्नातकोत्तर पाठयक्रम (एमडीएस) शुरू किये जाने की महती आवश्यकता है:-

क्रम सं.	विषय	सीटों की सं.
1.	Periodontics	6
2.	Oral Medicine & Radiology	6
3.	Orthodontics	6
4.	Oral & Maxillofacial Surgery	6
5.	Conservative Dentistry & Endodontics	6
6.	Prosthodontics	6
7.	Pedodontics	6
8.	Oral Pathology & Microbiology	6
9.	Community Dentistry	6

आज्ञा से,

(राजीव सिंह)

शासन उप सचिव

014-5116614

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री जी चिकित्सा शिक्षा विभाग
2. निजी सचिव, शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा
3. सचिव, भारतीय दन्त परिषदएएवान-ए-गालिब मार्ग, कोटला रोड, टेम्पल लैन, नई दिल्ली को प्रेषित कर लेख है कि उक्त प्रमाण पत्र सुरेन्द्र डेन्टल कॉलेज एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट, श्रीगंगानगर द्वारा राज्य सरकार को दिये कथन के आधार पर प्रदान किया गया है।
4. रजिस्टार, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर
5. प्रबन्ध निदेशक, सुरेन्द्र डेन्टल कॉलेज एण्ड रिसर्च इन्स्टीट्यूट, श्रीगंगानगर एलवीएल/07/759 दिनांक 10.5.2007 एवं 787 दिनांक 5.6.2007 के सन्दर्भ में प्रेषित है।
6. रक्षित पत्रावली

(जे.एन.व्यास)

शासन सहायक सचिव